

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2013—भाद्र 21, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ. ए 1-11-2012-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, शीर्षक “बासठ”—में, भाग (उ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित भाग तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय

(1) मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ. ए 1-11-2012-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए 1-11-2012-एक (1), दिनांक 12 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 12th September 2013

No. F. A 1-11-2012-One(1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, In the Schedule, in the heading “LXII-, for part (E) and entry relating thereto, the following part and entry relating thereto shall be substituted namely :—

“(E), Other Institution and Bodies not covered under (D) above :

(1) Madhya Pradesh Rajya Vimukut Ghumakkad Evam Ardh Ghumakkad Jati Vikas Abhikaran”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.